न्यूज लेटर

सेतु

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित

unicef unite for children

SPUP Knowledge is Power

Centre for Child protection

मार्च 2018 अंक: 10

प्रतिभागी चिल्ड्रन ऑन मूव कार्यशाला (दिनांक 16 दिसम्बर 2017)
आयोजक : सी.सी.पी., एस.पी.यू.पी., राजस्थान

सेन्टर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन (सीसीपी) सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान

निदेशक की कलम से

यात्रा की आसानी, शहरीकरण और बेहतर जीवन की तलाश में प्रवास (माइग्रेशन) के स्तर में व्यापक वृद्धि हुई है। प्रवासन व्यक्तियों के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है, लेकिन यह परिवारों की संरचनाओं/ढांचे को प्रभावित करता है। इस प्रक्रिया में बच्चे माइग्रेशन द्वारा अलग प्रकार से प्रभावित होते हैं। कुछ बच्चे प्रवासी माता–पिता द्वारा पीछे छोड़ दिए जाते हैं : कुछ अपने प्रवासित माता–पिता के साथ लाए जाते हैं तथा बच्चों की एक और श्रेणी है जो अकेले ही, माता–पिता के बिना माइग्रेट हो जाते हैं। इस श्रेणी के बच्चे अपेक्षाकृत अधिक जोखिमों में रहते हैं जैसे हिंसा, शारीरिक शोषण, दोहन, और यौन व अन्य प्रकार के शोषण के लिए तस्करी। इस श्रेणी के कई बच्चे बाल मजदूर भी बन जाते हैं।

बाल श्रम के खिलाफ अभियान (केम्पेन अगेन्स्ट चाईल्ड लेबर) के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 1,26,66,377 बाल श्रमिक हैं, जिनमें से राजस्थान में कुल बाल श्रम का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है और केवल जयपुर में ही 5–14 आयु वर्ग के 50,000 से अधिक बाल श्रमिक हैं। वर्ष 2010 में योजना आयोग ने बाल श्रम से संबंधित मामलों में राजस्थान को 'उच्च प्रबलता' (high incidence) वाले राज्य के रूप में पहचाना।

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में मुख्य श्रमिक वर्ग में लगभग 2,52,000 बाल श्रमिक हैं और सभी श्रेणियों में कुल 8,50,000 बच्चे काम कर रहे हैं। राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक हैं, इसके बाद जयपुर और भीलवाड़ा आते हैं। राजस्थान में काम कर रहे काफी बच्चे बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लाए जाते हैं।

सभी भारतीय राज्यों ने यह माना है कि 'स्थानान्तरण वाले बच्चे' एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन समाज में इन बच्चों के पुनर्वास और पुनर्मिलन के लिए राज्यों और विभागों के बीच समन्वय अभी भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।

राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए और बाल श्रम व तस्करी के मुद्दे को गहराई से समझने के लिए, सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन और राजस्थान पुलिस ने यूनिसेफ के समर्थन से 16 दिसंबर 2017 को जयपुर में, बाल संरक्षण और अंतरराज्यीय अभिसरण/समन्वय पर एक दिवसीय राष्ट्र स्तरीय स्टेकहोल्डर्स कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला का आयोजन बच्चों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और नॉन–स्टेट एक्टर्स के बीच अंतरराज्यीय अभिसरण/समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

सेतु न्यूजलेटर का यह विशेषांक इस कार्यशाला में हुए विचार–विमर्शों के महत्वपूर्ण परिणामों और इस विषय पर राजस्थान में आयोजित किये गए अन्य संबंधित अध्ययनों के निष्कर्षों को प्रस्तुत कर रहा है।

– **राजीव शर्मा**, आई.पी.एस.
निदेशक
सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन
सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय
विशेषांक : स्थानान्तरण वाले बच्चे (चिल्ड्रन ऑन मूव)

चिल्ड्रन ऑन मूव –

राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए और बाल श्रम व बाल तस्करी के मुद्दे को गहराई से समझने के लिए, सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन और राजस्थान पुलिस ने यूनिसेफ के सहयोग से जयपुर में, बाल संरक्षण और अंतरराज्यीय समन्वय पर एक दिवसीय राष्ट्र स्तरीय स्टेकहोल्डर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन 16 दिसंबर 2017 को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर, राजस्थान में किया गया। कार्यशाला का आयोजन बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किये गए कानूनी व सामाजिक उपायों के प्रभाव को समझने के लिए व बच्चों हेतु त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और नॉन–स्टेट एक्टर्स के बीच अंतरराज्यीय समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से किया गया था।

चिल्ड्रन ऑन मूव : बच्चे कई कारणों से स्थानांतरित होते हैं, स्वेच्छा से या अनिच्छा से, देश के अंदर या देश के बाहर, माता–पिता या अन्य देखभालकर्ता के साथ या उनके बिना, और उनके इस गमनागमन से, जहाँ एक ओर कुछ अवसर खुलकर समक्ष आते हैं, वहीं दूसरी और वे आर्थिक या यौन शोषण, दुर्व्यवहार, उपेक्षा या हिंसा के शिकार बनकर जोखिम में (या बड़े जोखिम में) पड़ सकते हैं।"

"चिल्ड्रन ऑन द मूव" के लिए कार्यरत इंटर–एजेंसी समूह द्वारा दी गयी परिभाषा।

इस अवसर पर श्री ओ.पी. गल्होत्रा, आईपीएस – पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार, ने बाल श्रम और बाल तस्करी की गंभीरता पर प्रकाश डाला और उन्होंने कहा, "जब आप सभी बाहर जाते हैं और घरेलू काम करते हुए या कारखाने में श्रमिक के

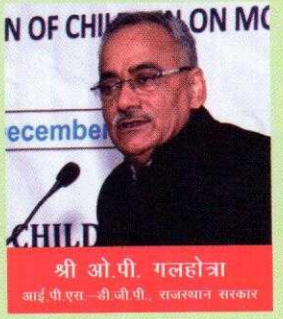

श्री ओ.पी. गलहोत्रा
आई.पी.एस.–डी.जी.पी., राजस्थान सरकार

रूप में काम करने वाले किसी बच्चे को देखते हैं और महसूस करते हैं कि यह बच्चा देश का भविष्य है और उसे इस उम्र में ऐसा नहीं करना चाहिए जबकि उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने की जरुरत है – इस मुद्दे को इस तरह की संवेदनशीलता की जरुरत है"। उन्होंने आगे बताया कि "पुलिस अधिकारी के रूप में काम करते हुए या एक ब्युरोक्रैट के तौर पर हम कभी–कभी उस संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे से नहीं जुड़ पाते, और शायद यही संदेश आज मैं आप लोगों के बीच छोड़ना चाहूँगा – इस मुद्दे के साथ संवेदनशीलता से जुड़िए।"

श्री अमोद के कंठ – जनरल सचिव, प्रयास जुवेनाइल ऐड सेंटर सोसाइटी, पूर्व डीजीपी और अध्यक्ष, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) और अध्यक्ष, डोमेस्टिक वर्कर्स स्किल सेक्टर्स कौंसिल (DWSS), ने प्रतिभागियों को प्रयास संस्था द्वारा बाल संरक्षण पर की गयी पहलों के बारे में सूचित किया। बाल शोषण (child abuse) पर पहला राष्ट्रीय अध्ययन 2007 में

श्री अमोद के कंठ
जनरल सेक्रेट्री, प्रयास

प्रयास द्वारा किया गया था, जिसने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के गठन में अग्रणी भूमिका निभायी । प्रयास ने ही देश में पहली बार बलात्कार संकट हस्तक्षेप केंद्र की स्थापना की है।

अगर हम पिछले दो बाल बचाव/रेस्क्यू अभियानों (जुलाई 2016 से अगस्त 2017 के बीच) के लिए राजस्थान पुलिस की एंटी–ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा एकत्र किये गए आंकड़ों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि –

- बिहार एक ऐसा राज्य पाया गया जहाँ से अधिकतम संख्या में बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए राजस्थान में लाये गये थे या यहाँ भेजे गए थे।
- झारखंड, मध्यप्रदेश व गुजरात तस्करी के अन्य स्त्रोत राज्य थे।

बाल श्रम – बाल श्रम से आशय सर्वेक्षण के समय बाल श्रम गतिविधियों में शामिल 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का प्रतिशत । किसी बच्चे को निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार बाल श्रमिक गतिविधियों में शामिल माना जाता है :

(अ) 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे जिन्होंने सर्वेक्षण से पहले के एक सप्ताह के दौरान किसी भी समय कम से कम एक घंटे कोई आर्थिक गतिविधि या कम से कम 28 घंटे कोई घरेलू काम किया हो, और

(ब) 12 से 14 साल की आयु के बच्चे जिन्होंने सर्वेक्षण से पहले के एक सप्ताह के दौरान किसी भी समय कम से कम 14 घंटे कोई आर्थिक गतिविधि या कम से कम 42 घंटे आर्थिक गतिविधि और घरेलू कार्य संयुक्त रूप किये हों ।

– यूनिसेफ की परिभाषा

जयपुर में 16 दिसम्बर 2017 को **"बाल संरक्षण और अंतराज्यीय अभिसरण"** विषय पर आयोजित राष्ट्र स्तरीय स्टेकहोल्डर्स कार्यशाला की रिपोर्ट पर आधारित। यह कार्यशाला सी.सी.पी.–एस.पी.यू.पी. राजस्थान द्वारा आयोजित की गई थी।

इस डेटा स्रोत के आधार पर, सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने सभी स्टेकहोल्डर्स राज्यों, बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश गैर सरकारी संगठनों जैसे प्रयास–दिल्ली, अंताक्षरी, टाबर और वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर फॉर चिल्ड्रन–जयपुर, सेंटर फॉर सोशल डिफेंस एंड जेंडर स्टडीज, राजस्थान पुलिस अकादमी और बाल अधिकार विभाग, राजस्थान सरकार को एक दूसरे से रूबरू होने के लिए आमंत्रित किया ताकि स्थानांतरित होने वाले बच्चों की स्थिति को समझा जा सके और राजस्थान में बाल श्रम की समस्या को रोकने के संभावित तरीकों पर विचार–विमर्श किए जा सके ।

प्रतिभागी चिल्ड्रन ऑन मूव कार्यशाला (दिनांक 16 दिसम्बर 2017)

बाल तस्करी और राजस्थान –

राजस्थान देश का सबसे बड़ा व सूखाग्रस्त राज्य है और यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि (सकल घरेलू उत्पाद का 19.6 प्रतिशत) और पशुधन पर आधारित है।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन क्षेत्र का योगदान लगभग 9.16 प्रतिशत है और सभी छोटे और लघु किसानों की आय का लगभग 35 प्रतिशत भाग डेयरी व पशुपालन क्षेत्र से ही आता है।

शुष्क क्षेत्रों में, 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है, जिसमें कपास और तंबाकू महत्वपूर्ण नकद फसलें हैं। पर्यटन और टेक्सटाइल उद्योग दोनों राज्य के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। राज्य में काम के लिए प्रवास का स्तर भी उच्च है, यहाँ लगभग 46 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के सदस्य गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे अन्य राज्यों में प्रवास कर रहे हैं।

अलवर व भरतपुर जिलों में स्थिति निराशाजनक है, जहाँ बच्चों को पटाखों व आतिशबाजी के उधोंगों में लगाया जाता है, जहाँ उनका व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा अत्यधिक खतरे में रहते हैं । चूड़ी उधोग, कढ़ाई व कालीन बुनाई ऐसे प्रमुख उद्योग हैं जहां बच्चों को अधिकतर काम पर लगाया जाता है – इन सभी में बारीकी व सफाई वाले काम के लिए नाजुक हाथों की जरुरत होती है। जयपुर स्वयं बाल श्रम का एक बड़ा केंद्र है।

आभार :

http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Rajasthan-rank-high-in-child-labour/articleshow/18916983.cms

बाल श्रम के खिलाफ अभियान (केम्पेन अगेन्सट चाइल्ड लेबर) के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 1,26,66,377 बाल श्रमिक हैं, जिनमें से राजस्थान में कुल बाल श्रम का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है और केवल जयपुर में ही 5–14 आयु वर्ग के 50,000 से अधिक बाल श्रमिक हैं। वर्ष 2010 में योजना आयोग ने बाल श्रम से संबंधित मामलों में राजस्थान को 'उच्च प्रबलता' (high incidence) वाले राज्य के रूप में पहचाना।

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में मुख्य श्रमिक वर्ग में लगभग 2,52,000 बाल श्रमिक हैं और सभी श्रेणियों में कुल 8,50,000 बच्चे काम कर रहे हैं। राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक हैं, इसके बाद जयपुर और भीलवाड़ा आते हैं। राजस्थान में काम कर रहे काफी बच्चे बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर बच्चों को नमक के उधोगों में काम पर लगाया जाता है जबकि दक्षिणी राजस्थान में उन्हें प्रमुखतः बीटी कपास खेती में काम में लिया जाता है। वर्ष 2016 में प्रकाशित हुए मानव तस्करी के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान मानव तस्करी के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर आता है ।

जैसा कि केम्पेन अगेन्सट चाइल्ड लेबर के आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि बाल श्रम की समस्या केवल एक राज्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि वास्तविकता में, काम के कारण माइग्रेशन और बाल तस्करी के कारण विभिन्न राज्यों मे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए, बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए अन्तर्राज्यीय समन्वय की जरुरत है ताकि न केवल बाल श्रम की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके बल्कि ऐसे बच्चों को सफलतापूर्वक पुनर्वासित भी किया जा सके। उसी अनुसार बाल श्रमिकों की बड़ी संख्या वाले राज्यों की पुलिस, बाल आधिकार विभागों, श्रम विभागों, सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन्स को एकजुट होने और प्रभावित बच्चों के कल्याण के लिए अपने प्रयासों को समन्वयित करने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है।

राजस्थान में बाल तस्करी और बंधुआ मजदूरी की समस्या से निपटना –

"पार्टनर्स इन चेंज" व "प्रैक्सिस – इंस्टिट्यूट फॉर पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिसेज" ने 2016 व 2017 के बीच फ्रीडम फंड के लिए बाल तस्करी और बंधुआ मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए एक व्यवहारिक अध्ययन किया । इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों को इस न्यूजलैटर में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

उच्च प्रबलता (हाई प्रीवलेंस) वाले क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र – राजस्थान में बाल शोषण और बंधुआ श्रम का स्तर अधिक है, और यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे वंचित समूहों को समान रूप से प्रभावित करता है

ईंट भट्टे – पूरे राज्य में ईंट भट्टों में अनुमानित 300000 बंधुआ मजदूर हैं। नवंबर के मध्य में उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा से बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थान में आते हैं और मई तक यहीं रहते हैं । बच्चों को ईंटों के लिए मिट्टी को मिलाने या परिवहन के लिए उन्हें लोड करने के लिए उपयोग में लिया जाता हैं।

जयपुर वर्कशॉप्स – जयपुर बाल श्रमिकों का एक प्रमुख केंद्र है जहाँ लगभग 50000 बच्चे भट्टा बस्ती और शहर के बाहरी क्षेत्रों में हैं जहाँ वे चूड़ियाँ बनाने, कशीदाकारी करने, साड़ियाँ बनाने में और अन्य दस्तकारी वर्कशॉप्स में काम करते हैं। लगभग 80 प्रतिशत श्रमिक लड़के हैं और 20 प्रतिशत लड़कियाँ। आम तौर पर बच्चों को एक सीमित स्थान पर एक दिन में 15 घंटों तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और कुछ कामों में तो बच्चे रसायनों के संपर्क में रहते हैं जिनसे उनका शरीर जल सकता है।

बच्चों को वयस्कों की अपेक्षा लम्बे समय तक काम पर लगाया जा सकता है इसलिए उनकी मांग अधिक है। जो साथी बच्चों को काम के लिए लेकर गए थे उन्होंने बच्चों को पीटे जाने और उनसे दुर्व्यवहार किये जाने के बारे में बताया। एक साथी, नाथू के अनुसार बच्चें कड़ी मेहनत करते हैं इसलिए उनकी मांग ज्यादा है। उन्हें सुबह पांच बजे यह देखने के लिए उठना पड़ता है कि क्या फूल क्रॉस–पोलीनेशन के लिए तैयार हैं और उन्हें तुरंत शुरू करना पड़ता है। व्यस्क मजदूर सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ सकते। बच्चों पर आसानी से धोंस जमाई जा सकती है। और उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता है। उन्हें जगाने के लिए एक छोटी सी ठोकर (किक) ही काफी है। वयस्कों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता।

- एक दूसरे साथी, वासुदेव कचराजी धामर, ने बताया कि काम सुबह 4 बजे और सायं 7 से 8 बजे तक लगे रहते हैं। मजदूर बुरी तरह से थक जाते है।
- बच्चें, किशोर और व्यस्क खेतों में ही काम चलाऊ आश्रयों में रहते हैं, जो कि गावों से दूर होते हैं। वे पूरी तरह से पृथक रहते हैं।

कृषि में सहरिया – राजस्थान के कई हिस्सों में, भूमिहीनता व कृषि कार्यों की कम मजदूरी, बंधुआ मजदूरी के दो प्रमुख कारक हैं। इसके अंतर्गत, राज्य के बारां जिले में पाई जाने वाली सहरिया अनुसूचित जनजाति की स्थिति अति गंभीर है, जिनमे बंधुआ मजदूर स्पष्ट रूप से कुपोषण के स्तर से जुड़े हुए हैं ।

पत्थर की खदानें – राजस्थान खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है और यहाँ खनन गतिविधियाँ कृषि के बाद दूसरा उच्चतम रोजगार क्षेत्र है (20 लाख से अधिक श्रमिकों के रोजगार के साथ)। खदानें विश्व भर में पत्थरों की आपूर्ति करती हैं लेकिन श्रम के संबंधों को ऋण बंधन और किसी भी प्रकार की मूल सुरक्षा की कमी से दर्शाया जाता हैं। कोबलस्टोन उत्पादन में बाल श्रम अधिक है। आम तौर पर जब सिलिकोसिस से हालत गंभीर होने के कारण एक कारीगर को काम छोड़ना पड़ता है, तो उसके तत्काल रिश्तेदार को उसका ऋण चुकाने के लिए, उसकी जगह पर काम करना पड़ता है, जिसमे उसका किशोर बेटा भी हो सकता है।

दक्षिणी राजस्थान से बच्चों की तस्करी – गुजरात में BT कपास के खेतों में काम करने के लिए तस्करीय गिन्निंग मिल्स में काम करने हेतु राजस्थान से लड़कियों की शादी करने के लिए तस्करी हो रही हैय और आदिवासी युवाओं की तस्करी परंपरागत चरवाहों द्वारा की जा रही है ।

बाल मजदूरी / बाल बंधुआ मजदूरी के बारे में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया–

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत जो बच्चे मजदूरी या बंधुआ मजदूरी करते हुए पहचाने जाते हैं वो "देखभाल व सुरक्षा के लिए जरूरतमंद बच्चों" की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त 2012 मे राजस्थान सरकार ने जे.जे एक्ट, 2015 में एक बच्चे की दी गई परिभाषा के अनुरूप बाल मजदूरी के प्रति अपना दृष्टिकोण बनाया, जिसमें बाल श्रम में पाए जाने वाले बच्चों की उम्र को बढ़ाकर (14 वर्ष के बजाय) 18 वर्ष किया गया।

बाल मजदूरी/बाल बंधुआ मजदूरी पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

राजस्थान सरकार ने SOP (मानक संचालन प्रक्रियाऐं) जारी किये हैं जो बाल मजदूरी की समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न राज्य संस्थानों की जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी अपने कर्मियों को कानूनों और बच्चों से संबंधित कानूनों और कानूनी भावना के बारे में प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय नियमित रूप से राजस्थान बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (सीडब्ल्यूपीओ), एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और विशेष लोक अभियोजकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

विभिन्न नियमों/कानूनों के तहत स्थापित बच्चों से संबंधित संस्थानों की बच्चों की बंधुआ स्थितियों के लिए निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं –

बाल श्रम संबंधित संस्थान	राज्य में औपचारिक स्थिति	प्रमुख जिम्मेदारियां	वर्तमान वास्तविक स्थिति	स्टेकहोल्डर्स की राय
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR)	एक अध्यक्ष, एक सचिव व एक सदस्य के साथ वर्ष 2010 में स्थापित किया गया।	बाल संरक्षण व शिक्षा के अधिकार की सम्पूर्ण निगरानी व बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना।	SCPCR व NCPCR दोनों मिलकर ईंट भट्टों, खदानों व राज्य संचालित बाल संस्थानों में जाकर निगरानी (monitoring visits) करते हैं।	हालाँकि SCPCR राज्य में बाल श्रम सम्बंधित मामलों से निपटने के लिए अतिसक्रिय है, लेकिन गतिविधियों की आवृति कम हैं।
जिला बाल कल्याण समितियाँ (DCWC)	सभी जिला मुख्यालयों पर स्थापित किये गए।	CWC के समक्ष लाये जाने वाले सभी "देखभाल व संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों" का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करना।	अक्टूबर–नवम्बर 2016 में राज्य भर में नए CWCs स्थापित किये गए हैं । इंटरव्यू किये गए स्टेकहोल्डर्स ने बताया कि उनके अंतिम कार्यकाल के दौरान कुछ ही CWCs सक्रिय थे।	कई जिलों में CWCs के लिए उचित उम्मीदवारों का चयन करने में कुछ समस्याएं रहती हैं। नए CWC सदस्यों को अच्छे से प्रशिक्षित व ओरिएंटेड किया जाना चाहिए। भूतपूर्व CWC सदस्य नए CWCs को शुरुआती चरणों में मार्गदर्शन दे सकते हैं ।
किशोर विशेष संरक्षण इकाईयां	जिला स्तर पर, पुलिस स्टेशन पर नामित किये गए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPOs)	"देखभाल व संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों' व "कानून के साथ संघर्षरत बच्चों" की पहचान करना व संवेदनशीलता से उनका प्रबंधन करना	राजस्थान पुलिस अकादमी व कुछ CSOs साथ मिलकर SJPU के अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण देते हैं।	SJPU के अधिकारियों की योग्यता व एक्सपोजर में बहुत बड़ा अंतराल है। उनमे से कई तो CWCs या बाल घर तक भी नहीं गए हैं।
चाइल्ड लाइन	चाइल्ड लाइन 14 जिलों में कार्यरत है	संकटग्रस्त बच्चों के लिए बाल हेल्पलाइन	यह आवश्यता पड़ने पर बचाव कार्यों को सक्रिय करने सहित एकीकृत बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के हिस्से के रूप में अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।	चाइल्ड लाइन का कई सरकारी विभागों के साथ आधिकारिक सहयोग है और यह राज्य में अच्छी तरह से काम कर रहा है।

बाल श्रम के निवारण में मददगार योजनायें / नीतियाँ

चाइल्डलाइन (1098) – यह एजेंसी एक आउटरीच और बचाव टीम के रूप में काम करती है, इस एजेंसी की मदद से कोई भी नागरिक बाल श्रम के मामलों की रिपोर्ट कर सकता है और बाल श्रमिक को बचाने में मदद कर सकता है।

चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम – यह स्थानीय लोगों को खोए व पाए बच्चों को पहचानने में मदद करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिससे इस तरह के बच्चों के बचाव और पुनर्वास में योगदान मिलता है।

फिट व्यक्ति / फिट सुविधा – ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए CWC द्वारा इन दो विकल्पों का भी लाभ उठाया जा सकता है।

पालनहार – यह योजना बाल श्रम को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकती है क्योंकि यह सीधे तौर पर बच्चों और अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

VLCPC / BLCPC - JJ एक्ट और ICPS के प्रावधानों के अनुसार ब्लॉक और ग्राम (ग्राम पंचायत) स्तर पर बाल संरक्षण समितियाँ स्थापित की जानी हैं। इन समितियों का उद्देश्य कमजोर स्थितियों में रहने वाले बच्चों की पहचान करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना – यह योजना बाल अधिकार विभाग द्वारा चलायी जा रही है, यह योजना उन बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में भी सहायता प्रदान करती है जो उच्च या पेशेवर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

आपकी बेटी – यह योजना शिक्षा विभाग द्वारा चलायी जा रही है, यह योजना उन बालिकाओं को 1100 से 1500 रुपये के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनके माता–पिता में से कोई एक मृत हो।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना – यह योजना S.J.E.D द्वारा चलायी जा रही है, यह योजना उन बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो पढ़ रहे हैं और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं।

एनसीएलपी योजना – इस योजना को श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से खतरनाक क्षेत्रों में चल रहे बाल श्रम का उन्मूलन करना है।

मुआवजा – 20000 रुपये का मुआवजा, आदेशानुसार : M.C. Mehta v State of Tamil Nadu and Ors- Writ P-(C) AIR 1997 SCC 699 No. 465 of 1986-

RTE के तहत निःशुल्क शिक्षा – यह योजना शिक्षा विभाग द्वारा चलायी जा रही है, यह योजना निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का अवसर प्रदान करती है।

सीएसआर – सीएसआर की मदद से कई नए विकल्प रखे जा सकते हैं जहां बच्चे शिक्षा और विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और वयस्क होने तक रोजगार पा लेते हैं।

R.K.C.L – राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजस्थान में स्थापित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। यह संस्थान युवाओं को सभी प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करता है जो रोजगारोन्मुखी होते हैं।

अन्य योजनायें –

- राजस्थान पीड़ित मुआवजा योजना 2012
- केंद्रीय क्षेत्र बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना 2016
- पीड़ितों को मुआवजे के प्रावधान के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना (NCLP)।

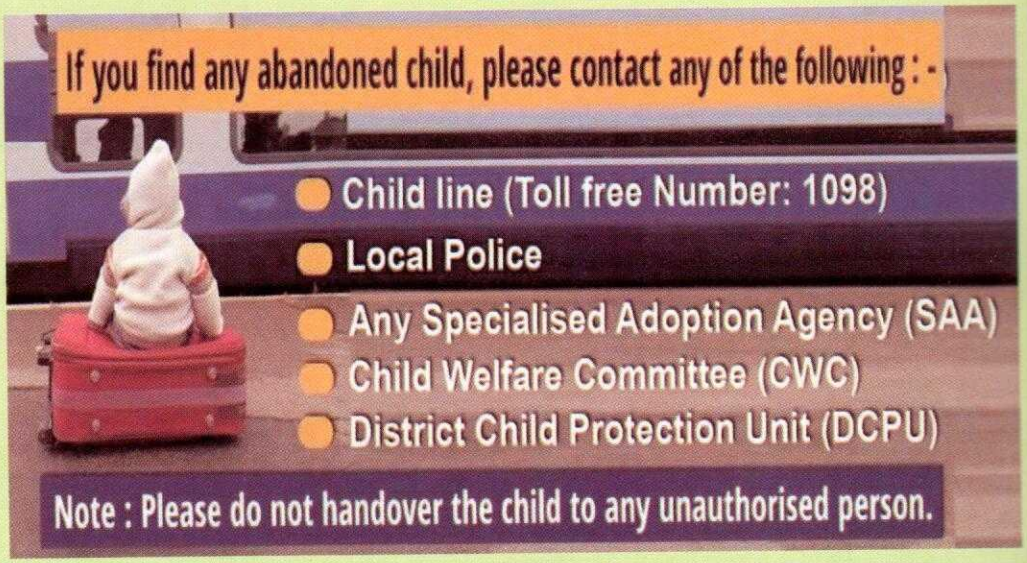

Newsletter

SETU

Dedicated to child protection by Centre for Child Protection (CCP)

unicef unite for children

SPUP Knowledge is Power

Centre for Child protection

March 2018 **EDITION : 10**

Participants of Children on Move Workshop (Date 16 Dec. 2017) C.C.P., S.P.U.P, Rajasthan

Centre for Child Protection (CCP) Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Rajasthan

From Director's Desk:

*Based on the Report of National Level Stakeholders Workshop on Child-Protection and Inter-State Convergence on 16th December 2017 at Jaipur. It was organised by CCP-SPUP, Rajasthan

Ease of travel, urbanization and quest for better life have led to dramatic increase in migration levels. Migration presents both opportunities and challenges for individuals but affects the structure of families. In the process, children are affected differently by migration. Some children are left behind by migrant parents; some are brought along by their migrating parents; and another category of children migrate alone, independently of parents. The children in the last category are more exposed to risks such as violence physical abuse, exploitation, sexual abuse and trafficking for the purpose of sexual or other exploitation. Many from this category end up as Child labourers.

According to Campaign Against Child Labour (CAC) study, India has 1,26,66,377 child labourers of which Rajasthan accounts for nearly 10% of the total child labour with Jaipur alone having more than 50,000 child labourers in the age group of 5-14 years. Planning Commission in the year 2010 identified Rajasthan as 'high incidence' State in cases related to child labour. *

As per Census 2011 data, Rajasthan has approximately 2,52,000 child labourers in the main workers category and 8,50,000 total children working in all the categories. Jodhpur in Rajasthan has the highest number of child labourers followed by Jaipur and Bhilwara. Many children working in Rajasthan are brought from Bihar, West Bengal and Jharkhand.

There is recognition in all the Indian States that 'children on move' is a serious issue, but coordination amongst the States and Departments, for rehabilitation and reintegration of these children in society still remains serious challenge.

For better coordination amongst states and understanding the issue of child labour and trafficking in –depth the Centre for Child Protection and Rajasthan Police with support from UNICEF organized a One Day National Level Stakeholders Workshop on Child-Protection and Inter-State Convergence on 16th December 2017 at Jaipur. The workshop was organized to facilitate inter-state convergence amongst officials and non-state actors for ensuring speedy justice to children.

This issues of SETU newsletter has captured significant outcomes of deliberations held in this workshop and other relevant studies conducted in Rajasthan on this subject.

Rajeev Sharma, IPS
Director
Centre for Child Protection

Centre for Child Protection
Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Rajasthan
Theme: Children on Move

CHILDREN ON MOVE:

For better coordination amongst States and understanding the issue of child labour and child trafficking in–depth the Centre for Child Protection with Rajasthan Police and support from UNICEF organized a One Day National Level Stakeholders Workshop on Child-Protection and Inter-State Convergence. The workshop was held on 16th December 2018 at Rajasthan Police Academy, Jaipur, Rajasthan. The workshop was organized with a view to understand the efficacy of all legal and social measures for protection of child rights and to facilitate inter-state convergence amongst officials and non-state actors for ensuring speedy justice to children.

CHILDREN ON MOVE :
"Children moving for a variety of reasons, voluntarily or involuntarily, within or between countries, with or without their parents or other primary caregivers, and whose movement, while it may open up opportunities, might also place them at risk (or at an increased risk) of economic or sexual exploitation, abuse, neglect and violence."

Definition by – inter-agency working group on Children on the Move, Boston.

Speaking on the occasion Mr. O.P. Galhotra, IPS – Director General of Police, Government of Rajasthan highlighted gravity of Child Labour and Child Trafficking and he pointed out "when you all go out and see a child working as domestic help/ factory labour and realise that this child is the country's future and he/she should not be doing this at this age when he/she is supposed to be getting good education and a quality life- that is the kind of senstivity this issue needs". He further mentioned that "we as career police officer's, bureaucrats sometimes fail to connect with the issue with that sensitivity, and, that is perhaps the message that I would like today to leave with you – connect with the issue sensitively."

Sri O.P. Galhotra
IPS-DGP, Govt. of Rajasthan

Mr.Amod K. Kanth –General Secretary, Prayas Juvenile Aid Centre Society, Former DGP and Chairperson, Delhi Commission of Protection of Child Rights (DCPCR) and Chairperson, Domestic Workers Skill Sectors Council (DWSS), informed participants about Pyaras's initiatives on Child Protection. The first ever National Study on Child Abuse 2007 that led to the formulation of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 was conducted by Prayas. Prayas established the first ever Rape Crisis Intervention Centre in the country.

Sri Amod K. Kanth
General Secretary, Prayas

If we look at the data collated by Rajasthan Police's Anti-Human Trafficking Unit for the last two child rescue operations (Between July 2016- August 2017), we see that

- Bihar, was the origin state to send/from where, maximum number of children came, to work in various sectors of Rajasthan;
- Other origin States of trafficking were- Jharkhand, Madhya Pradesh and Gujarat.

On the basis of this data source, the Centre for Child Protection invited

CHILD LABOUR - Percentage of children aged 5 to 14 years of age involved in child labour activities at the moment of the survey. A child is considered to be involved in child labour activities under the following classification: (a) children 5 to 11 years of age that during the week preceding the survey did at least one hour of economic activity or at least 28 hours of domestic work, and (b) children 12 to 14 years of age that during the week preceding the survey did at least 14 hours of economic activity or at least 42 hours of economic activity and domestic work combined.

Definition By - **UNICEF**

*Based on the Report of National Level Stakeholders Workshop on Child-Protection and Inter-State Convergence on 16th December 2017 at Jaipur. It was organised by CCP-SPUP, Rajasthan

the stakeholder States vis-à-vis Bihar, Jharkhand, Gujarat, Madhya Pradesh, along with NGO's like PRAYAS, Delhi, Antakshari, TAABAR and One Stop Crisis Management Centre for Children, Jaipur etc. and, Institutions such Centre for Social Defense and Gender Studies, Rajasthan Police Academy and Department of Child Rights, Government of Rajasthan, so as to understand the situation of children on the move and deliberate upon possible ways to curb the problem of child labour in the State of Rajasthan.

Interaction during Children on Move Workshop (Date 16 Dec. 2017)

CHILD TRAFFICKING AND RAJASTHAN

Rajasthan, is country's largest State, the State is drought-prone and the economy is primarily agriculture based (19.6% of the GDP) and pastoral. Contribution of animal husbandry sector to the GDP of the state is around 9.16% and about 35% of the income to all small and margin farmers comes from the dairy and animal husbandry sector. In arid areas, 50% -70% of the populations is involved in agriculture and animal husbandry sector with significant cash crops being cotton and tobacco. Textile related industries are also important to the state as is tourism. The state also has high levels of migration for work with 46% of rural households having members migrating to other states like Gujarat, Maharashtra and Delhi.

According to Campaign Against Child Labour (CACL) study, India has 1,26,66,377 child labourers of which Uttar Pradesh has 19,27,997 child labourers. Rajasthan accounts for nearly 10% of the total child labour in the country with Jaipur alone having more than 50,000 child labourers in the age group of 5-14 years. Planning Commission in the year 2010 identified Rajasthan as 'high incidence' State in cases related to child labour.

The situation is dismal in the districts of Alwar and Bharatpur, where children are forced to work in the fireworks industry where the risks to personal health and safety are extremely high. The prime industries where children are employed are in the manufacturing of bangles, embroidery and weaving of carpets - all of which need tender hands for finesse. Jaipur is a major centre for child labour

Source:

http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Rajasthan-rank-high-in-child-labour/articleshow/18916983.cms

As per Census 2011 data, Rajasthan has approximately 2,52,000 child labourers in the main workers category and 8,50,000 total children working in all the categories. Jodhpur in Rajasthan has the highest number of child labourers followed by Jaipur and Bhilwara. Many children working in Rajasthan are brought from Bihar, West Bengal and Jharkhand. In western Rajasthan most of these children are forced into working in salt industry whereas in southern Rajasthan they are mainly engaged in farming BT cotton. As per the human –trafficking data published in a report in the year 2016, Rajasthan has the second highest number of human-trafficking cases in the country.

As evident from CACL data that the problem of child labour is not confined to one State and in reality, many States are linked with each other due to migration of workers and trafficking of children. Therefore, to tackle the issue of child labour inter-state coordination is required to not only root out the issue of child labour, but also to rehabilitate the children successfully. Accordingly, the police, child rights department, labour department, civil societies organization of the States with large number of child labour needs to sit together and find out a way forward to coordinate their efforts for welfare of affected children.

COMBATING CHILD TRAFFICKING AND BONDED LABOUR IN RAJASTHAN

Partners in Change and Praxis – Institute for Participatory Practices conducted a feasibility study combating child trafficking and bonded labour in Rajasthan for Freedom Fund between 2016 and January 2017. Major findings of the study is being presented in this newsletter.

High prevalence sectors and geographies: The scale of child exploitation and bonded labour is high in Rajasthan, and it disproportionally affects marginalised groups such as Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Brick kilns: There are an estimated 300000 bonded labourers in brick kilns across the State. Large number of migrants coming to Rajasthan in mid-November from Uttar Pradesh, Bihar and Odisha and staying until May. Children are used to mix clay for the bricks or load them for transportation.

Jaipur workshops: Jaipur is a major centre for child labour with almost 50000 children in the areas of BhattaBasti and outskirts of the city, where children are engaged in bangle making, embroidery, saree and other handicraft workshops. Approximately 80% of workers are boys, and 20% girls. Children are typically forced to work 15 hours a day in confined spaces and in some of the work, they are exposed to chemicals that burn their skin.

Children are in great demand because they can be made to work longer hours than adults. The mates who took children to work reported beatings and verbal abuse of the children. According to Nathu, a mate, "Children work harder and therefore they are in great demand. They have to get up at 5 a.m. to check if the flowers are ready for cross-pollination and start work immediately. Adult labourers will not get up so early in the morning. Children are easy to bully and harass. A slight kick is enough to wake them up. Adults can't be treated like that." Vasudev Kachraji Dhamar, a mate, said, "Work starts at 4 a.m. when children are woken up to see whether the flowers have opened and then work continues up to noon. Labourers start again at 2 p.m. and work till 7 or 8 p.m. Labourers get very tired." Children, adolescents and adults live in makeshift accommodation on the farms, which are far away from the villages. They are completely isolated.

- Children migrating for work from Dungarpur district, Rajasthan, to Gujarat: A Report, NCPCR 2008.

Sahariyasin agriculture: Across many parts of Rajasthan, landlessness and low wages for agricultural work are major push factors for bonded labour. Within this the conditions of the SahariyaScheduled Tribe community found in Baran district are even starker, with bonded labour clearly linked with levels of malnutrition.

Stone quarries: Rajasthan is one of the mineral rich States, with mining activities as the second highest employment sector after agriculture (employing over 2 million workers). Quarries supply stones globally but labour relations are characterised by debt bondage and lack of any basic protections. Child labour is high in cobblestone production. Typically, when worsening silicosis forces a worker to retire, his immediate kin, including adolescent son, replaces him to work against the debt.

Trafficking of children from Southern Rajasthan: Trafficking for work on BT cotton farms in Gujarat; girls being trafficked for marriage into Gujarat and to work in ginning mills; and tribal youth trafficked by traditional animal herders.

STATE GOVERNMENT RESPONSE ON CHILD LABOUR/CHILD BONDED LABOUR:

Under the Juvenile Justice Act, 2015 children who are identified as child labour or child bonded labour are defined as Children in Need of Care and Protection (CNCP). In addition in 2012, the Rajasthan Government made its approach to child labour consistent with the age definition of a child in the JJ Act, 2015 by increasing the age at which working children were found to be in child labour up to 18 years (rather than 14 years).

STATE GOVERNMENT RESPONSE ON CHILD LABOUR/ CHILD BONDED LABOUR

Rajasthan Government has issued SOP that specified responsibilities of different state institutions for addressing child labour. Rajasthan Police Academy is providing training to its personnel about the laws and the spirit of the laws related to children. Centre for Child Protection, Sardar Patel University of Police, Rajasthan is conducting regular training programmes for Child Welfare Police Officers (CWPOs), Anti Human Trafficking Unit and Special Public Prosecutors.

The institutions created under various laws related to children have the following resposibilities for children in bondage situations:

Child labour Related Institutions	Formal Status in the State	Broad Responsibilities	Actual Current Status	Stakeholders' Opinion
State Commission for Protection of Child Rights (SCPCR)	Constituted in 2010 with a chairperson, secretary and a member	Overall monitoring of child protection; right to education, and providing safeguards against child rights violations	SCPCR together with NCPCR conducts several monitoring visits in brick kilns, mines and state run institutions for children	While SCPCR has been pro-active to deal with cases of child labour in the state, the actions are not frequent.
District Child Welfare Committees	Constituted in all the district headquarters	Ensure best interest of children in need of care and protection who are brought before the CWC	New CWCs are formed across the state in Oct-Nov 2016. Stakeholders interviewed reported that only a few CWCs were active in their last tenure	There are some issues in selecting appropriate candidates for CWCs in many districts. The new CWC members need to be trained and oriented properly. Ex-CWC members can provide guidance in initial phases to new CWCs.
Special Juvenile Protection Units	At district level, Child Welfare Police Officer (CWPOs) designated at police station level	Identification and sensitive handling of children in need of care and protection, and children in conflict with law	Rajasthan Police Academy and a few CSOs in collaboration conduct regular training of officers of SJPU	There is substantial gap in capacity and exposure of officers at SJPU. Many of them have not even visited CWCs or homes for Children
Childline	Childline is Child functioning in 14 districts.	Child helpline for children in distrees	It collaborates with other agencies part of the implementation of the Integrated Child Protection Scheme, including triggering rescue operations when needed.	Childline has an official collabration with many government departments and functioning well in the state

SCHEMES/POLICIES, HELPFUL TO ELIMINATE CHILD LABOUR

Childline (1098)- This agency works as an outreach and rescue team, by taking help of this agency any citizen can report the cases of child labour and help in rescuing the child labour.

Child tracking system- This provides a platform to local masses to help identifying missing and found children thus contributing in the rescue and rehabilitation of such children.

Fit person/fit facility- These two options can also be availed by C.W.C for the rehabilitation of such children.

Palanhar- This scheme may prove as key factor to stop child labour as it directly provides financial support to the children as well as guardians.

VLCPC/BLCPC

As per the provisions of JJ act and ICPS child protection committees are to be formed at Block and Village (gram Panchayat) level the aim of these committees is to ensure the protection of children by identifying the children living in the vulnerable situation.

Mukhyamantri Hunar Vikasyojna This scheme is being run by Department for child rights, this scheme also provides support in form of scholarship to the children who want to peruse higher or professional education.

Aapki Beti - This scheme is being run by education department, this scheme provides a financial support in form of 1100 to 1500 Rs to those girls whose one of the parent is dead.

Post metric scholarship scheme - This scheme is being run by S.J.E.D, this scheme provides financial support in the form of scholarship to the Children who are studying and want to continue their further education.

NCLP Scheme - This scheme is being run by Ministry of labour and employment, the aim of this scheme is to eliminate and eradicate child labours specially working in hazardous sectors.

Compensation worth Rs 20000 as ordered in M.C Mehta v State of Tamil Nadu and Ors. Writ P. (C) AIR 1997 SCC 699 No. 465 of 1986.

Free Education under RTE- This scheme is being run by education department, this scheme provides a chance of free education in private schools.

C.S.R- With the help of C.S.R many new alternatives could be placed where children can get education and various training and gets placed for employment once they reach majority.

R.K.C.L- Rajasthan Knowledge Corporation Limited is a Public Limited Company established in Rajasthan. This institution provides all sort of courses to youth which are career and job oriented.

Other Schemes:

- Rajasthan Victim Compensation Scheme 2012.
- Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour 2016.
- National Child Labour Project Scheme Provisions for Compensations to the Victims.

इस न्यूज लेटर का उद्देश्य पाठकों को बच्चों के अधिकारों से संबंधित पुलिस, सरकार, एवं अन्य लोगों, संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराना है। इस न्यूजलेटर हेतु पाठकों के सुझाव, अनुभव, लेख सादर आमंत्रित है।

E-mail : ccp@policeunivercity.ac.in

न्यूज लेटर लेखन एवं संपादन :

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान

संपादकीय टीम :– राजीव शर्मा (IPS), संजय कुमार निराला, डॉ विजेन्द्र सिंह, प्रवीण सिंह, अदिति व्यास, आशुतोष श्रीवास्तव।